

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना

सं० सं०-एस०आई०पी०बी०२०१७००२२१.....
सेवा में,

दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय- मेसर्स नालंदा इन्फ्रा, नालंदा द्वारा जुनैदी, सिलाव, नालंदा में ०८ मीटर का १८००० एवं ०९ मीटर का १४४४० पी०एस०सी० पोल प्रतिवर्ष क्षमता का निर्माण ईकाई की स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू० २,४५,३९८/- (मात्र दो लाख पैंतालिस हजार तीन सौ अठानबे रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स नालंदा इन्फ्रा, नालंदा द्वारा जुनैदी, सिलाव, नालंदा में ०८ मीटर का १८००० एवं ०९ मीटर का १४४४० पी०एस०सी० पोल प्रतिवर्ष क्षमता का निर्माण ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद की बैठक दिनांक ०८.०३.२०१७ को स्टेज-१ तथा दिनांक २१.०६.२०१८ की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन विलधरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-२०१६ के नियम- ७ (२) (i) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई सामान्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर-प्राथमिकता सूची में है।

२. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, २०१६ के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद सचिवालय के कार्यालय आदेश झापांक SIPB201700221/1245, दिनांक ०३.१०.२०१८ के द्वारा श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक २५.०२.२०१८ से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, २०१६ के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

३. ईकाई को पूर्व में ३१ अक्टूबर, २०१८ तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू० ९,७६,४३९/- (मात्र नौ लाख छिहत्तर हजार चार सौ उनचालिस रूपए) दिया जा चुका है।

४. ईकाई को द्वितीय किस्त के रूप में ०१ नवम्बर, २०१८ से ३१ दिसम्बर, २०१८ तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू० २,४५,३९८/- (मात्र दो लाख पैंतालिस हजार तीन सौ अठानबे रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) ईकाई न्यूनतम ५ वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि ५ वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि १८% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् ५ वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से १८% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

५. उक्त राशि का व्यय वहन 'राज्यादेश सं०-२०६०, दिनांक-११.०६.१८ एवं आवंटनादेश सं०-५/०१-B(Allotment)-१६/२०१८; Order No.-१४८० dated-१३.०६.२०१८ के आलोक में मुख्य शीर्ष २८५२ उद्योग, उप मुख्य शीर्ष ८०-सामान्य, लघु शीर्ष १०२-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या २३, उप शीर्ष ०१६०-प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड २३-२८५२८०१०२०१६०, विषय शीर्ष ०१६०.३३.०१ सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
8. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
9. इस राशि का भुगतान नालंदा इन्फ्रा को उनके बैंक ऑफ इंडिया में खाता संख्या-441030110000050, IFS Code-BKID0004410 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक-एस०आई०पी०बी०२०१७००२२१.....

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक-एस०आई०पी०बी०२०१७००२२१.....

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक-एस०आई०पी०बी०२०१७००२२१.....¹²⁸⁰

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / आई० टी० फार्म-25 पर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेसर्स नालंदा इन्फ्रा, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।